

1819044/18-9-18

पत्राकः:जा.एस.टी./2018-19/

603 / वाणिज्य कर

कार्यालय- कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

(जी.एस.टी. अनुभाग)

लखनऊः दिनांक: 18 सितम्बर, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0)/(वि0अनु0शा0)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।


विषय:- परिवहन के समय वस्तुओं की जाँच, और ऐसे वस्तुओं एवं वाहन के अभिरक्षा, मुक्ति और जब्ती हेतु वाहनों को रोकने की प्रक्रिया, जैसाकि परिपत्र संख्या-41/15/2018-जी0एस0टी0 दिनांक 13.04.2018 तथा 49/23/2018-जी0एस0टी0 दिनांक 21.06.2018 में स्पष्ट किया गया है, में संशोधन के संबंध में।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ इन्डायरेक्ट टैक्सिस एण्ड कस्टम द्वारा परिवहन के समय वस्तुओं की जाँच, और ऐसे वस्तुओं एवं वाहन के अभिरक्षा, मुक्ति और जब्ती हेतु वाहनों को रोकने की प्रक्रिया, जैसाकि परिपत्र संख्या-41/15/2018-जी0एस0टी0 दिनांक 13.04.2018 तथा परिपत्र संख्या-49/23/2018-जी0एस0टी0 दिनांक 21.06.2018 में स्पष्ट किया गया है, में संशोधन के संबंध में परिपत्र संख्या-64/38/2018-जी0एस0टी0 दिनांक 14.09.2018 को जारी किया गया है।

उक्त परिपत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए अनुपालन एवं विभिन्न व्यापारिक संगठनों को भी अपने स्तर से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,


(डी0 के0 सचान)

ज्वाइन्ट कमिश्नर(जी0एस0टी0)
वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ।

